इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्र 30 शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959, (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 263 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश करती है, कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23

सन् 2018) के द्वारा उक्त संहिता की धारा 41 के विलोपित किए जाने के ठीक पूर्व बनाये गये समस्त नियम उक्त संहिता की धारा 258 के अंतर्गत बनाये गये नियम समझे जाएंगे और उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार नए नियमों द्वारा जब तक वे शून्यवत या परिवर्तित नहीं कर दिये जाते, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-9/2018/VII/Se.6

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 263 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that all rules made under section 41 of the said Code immediately prior to its deletion by the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018), shall be deemed to be made under section 258 of the said Code and shall apply mutatis mutandis till annulled or altered by new rules in accordance with the provisions of the said Code.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (पैंसठ–क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 187–6477–सात –एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 को प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** –

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959(क्रमांक 20सन् 1959);

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप,

(ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(घ) ''धारा'' से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(ङ) 'दल का लीडर' से अभिप्रेत है, नियम 8 के अधीन गठित दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो संहिता में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्ररूप–एक में होगा।

4. आवेदक, सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो कि कलेक्टर, समय–समय पर, आयुक्त, भू–अभिलेख के अनुमोदन से विनिश्चित करे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को संदत्त किये जाने वाले अपेक्षित प्रभारों पर आधारित भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि नियम 7 के उपनियम(1) के अधीन ऐसी एजेंसियों के अधिकृत होने तक आवेदक इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियत फीस का भुगतान करेगा।

5. धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्ररूप–दो में प्रस्तुत की जायेगी।

6. धारा 129 की उपधारा(7) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप–तीन में प्रस्तुत की जायेगी।

7. (1) कलेक्टर, आयुक्त, भू–अभिलेख के नियंत्रणाधीन धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) तहसीलदार, कलेक्टर द्वारा, समय–समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक की सहायता करने के लिए उपनियम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।

(3) उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर द्वारा, समय–समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने हेतु उपनियम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।

8. (1) धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगें–

(क) अधीक्षक, भू–अभिलेख या सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख या राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक दल के लीडर के रूप में; और

(ख) अन्य राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सदस्य के रूप में।

(2) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उचित समझे, उपनियम (1) के अधीन गठित दल में भूमि सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रख सकेगा।

9. धारा 129 के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश अनुसूची के अनुसार होंगे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एजेंसियां अधिकृत होने के ऐसे समय तक, सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश वही होगें जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट थे।

10. आयुक्त, भू–अभिलेख, समय समय पर, धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए अनुसरित किए जाने वाले तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेगा।

अनुसूची–

(नियम 9 देखिये)

धारा 129 के अधीन सीमांकन के दौरान संनिर्मित किये जाने वाले सीमा चिन्हों के विनिर्देश

स.क्रं.	सीमा चिन्ह का प्रकार	विनिर्देश
1.	प्रापर्टी पिन टाइप–1 क	(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास– 2.5 से.मी. (3) लग्बाई– 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा– (क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा(चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो (ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना "मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप–1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें" (5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरानुकीला खांचेदार

		(6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक केसीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे। (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।
2.	प्रापर्टी पिन टाइप–1 ख	(1) गैलवनाइजड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास– 1.5 से.मी. (3) लम्बाई– 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा– (क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो (ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना "मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप–1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें" (5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार (6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे। (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।
3.	प्रापर्टी पिन टाइप–3	(1) आर.सी.सी. पिलर या हल्के पीले रंग में पेन्ट किया हुआ केवल एक पत्थर का स्तंभ। (2) 60 से.मी.X15 से.मी. X15 से.मी.जमीन के ऊपर 20 से.मी. के साथ कम से कम 15 से.मी. पी.सी.सी. सीमेंट ब्लाक का उपयोग करते हुये जमीन पर स्थिर करना
4.	प्रापर्टी पिलर टाइप–3	(1) (गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास– 1.5 से.मी. (3) लम्बाई– 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा–

		(क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो (ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना "मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप–1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें" (5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार (6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे। (7)कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।
5.	प्रापर्टी पिन कैप–टाइप–1	(1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ (2) व्यास–15 से.मी.X15 से.मी. X20 से.मी. (3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो (4) प्रापर्टी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा (5) केप भूमि के उस स्थान पर रखा जाऐगा जहां कोई प्रापर्टी पिन– टाइप–3 स्थापित की जानी हो तथा पिन प्रापर्टी कैप की सतह तक कैप को बेलनाकार घेरे द्वारा जमीन में स्थापित किया जाएगा (6) प्रापर्टी पिन केप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा
6.	प्रापर्टी पिन केप–टाइप–2	(1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ (2) व्यास–15 से.मी.X15 से.मी. X20 से.मी. (3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो (4) प्रापर्टी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा (5) केप भूमि के उस स्थान पर रखा जाऐगा जहां कोई

		प्रापर्टी पिन– टाइप–3 स्थापित की जानी हो तथा पिन प्रापर्टी कैप की सतह तक कैप को बेलनाकार घेरे द्वारा जमीन में स्थापित किया जाएगा (6) प्रापर्टी पिन केप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा

टिप्पणी :

1. सीमांकन के दौरान–प्रापर्टी पिन को इन नियमों में उपबन्धित को ऐसे अंतरालों पर सीमा चिन्ह के रूप में रखा जाएगा।
2. सीमांकित किये जा रहे सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक के कोनों में प्रापर्टी टाइप–1 या टाइप–2 पिन का उपयोग किया जाऐगा ये सीमांकन होने में भू–खण्ड के चारों कोनों पर या भू–खण्ड के कम से कम चार स्थानों पर स्थापित होंगे।
3. प्रापर्टी टाइप–1, टाइप–2 या टाइप–3 पिन का उपयोग सर्वेक्षण संख्यांक की सीमा के समस्त अन्य मध्यस्थ स्थानों में किया जाऐगा जहां सीमा चिन्हों को इन नियमों के अधीन स्थापित किया जाना अपेक्षित है, ब्लाक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक को सीमांकित किया जा रहा है।
4. आवेदक भूमिस्वामी उपयोग किए जाने वाले पिन के टाइप का निर्णय करेगा जब कभी भूमिस्वामी ने एक से अधिक टाइप का विशिष्ट प्रयोजन के लिए विहित किया गया हो।
5. जहां जमीन पर प्रापर्टी पिन के भाग में कोई बागड़ (फेन्स) या दीवाल संनिर्मित की गई हो उसमें वृद्वि कर सकेगा और दीवाल या बागड़ के भाग में पिन लगा सकेगा।
6. सीमांकन की कार्यवाही के दौरान संनिर्मित सीमा चिन्हों को बेहतर दिखाई देने के लिए भूमिस्वामी के आवेदन पर संनिर्मित सीमाचिन्हों में प्रापर्टी पिन कैप का उपयोग किया जा सकेगा।
7. भूमिस्वामी ने जिस भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह सृजित किये हैं संनिर्मित सीमा चिन्हों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए जबाबदेह होगा।
8. जहां तहसीलदार भूमिस्वामी या किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करता है कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी प्राधीकार के किसी सीमा चिन्ह को हटाया है या क्षति पहुँचाई है या सीमा चिन्ह की स्थिति में कोई परिवर्तन किया है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझें, इस प्रकार हटाये गये या क्षति पहुँचाये गये या जिसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है, पांच सौ रुपये प्रति सीमा चिन्ह शास्ति अधिरोपित करेगा। तहसीलदार सीमा चिन्ह को फिर से स्थापित भी करवाएगा तथा इस प्रकार क्षति कारितऐसे व्यक्ति से पूरे खर्चे तथा अधिरोपित की गई शास्ति से अधिक की वसूली करेगा।
9. सी.एल.आर. कतिपय स्थितियों के लिए अंतरालों में वृद्धि करने या कमी करने के निदेश जारी करेगा।

प्ररूप–एक

(नियम.3 देखिए)

सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

मैं/हम.....एतद्द्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि का सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं

1.आवेदक का विवरण

स. कमांक	नाम तथा पता	पिता/पति/संरक्षक का नाम	मोबाइल नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य	आधार नं./वैकल्पिक पहचान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						

2. सीमांकित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम / नगरीय क्षेत्र.....पटवारी हल्का /सेक्टर नम्बर.....राजस्व निरीक्षक वृत्त..... तहसील.....जिला.....

सरल कमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर /वर्गमीटर में)	धारक का नाम	लगे हुये सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.				
2.				
3.				

(3) लगी हुई भूमि के धारक का विवरण

स. क.	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लाक संख्यांक / भू–खण्ड संख्यांक	धारक का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल फोन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

4. भुगतान की गई फीस के ब्यौरे

राशि अंकों में	राशि शब्दों में	पावती के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)

घोषणा

मै / हम ..... पुत्र /पुत्री /पति ..... पता (पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित) ....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर
नाम.....
आवेदक

आवश्यक संलग्न :

1. खसरे की प्रति
2. सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक व नक्शें की प्रति जिसमें लगे हुये सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांव सम्मिलित है
3. फीस पावती की प्रति

प्ररूप–दो

(नियम 5 देखिये)

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

न्यायालय तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार .....तहसील..... जिला.....मध्यप्रदेश

तारीख.....सीमांकन रिपोर्ट

आपके आदेश दिनांक .....के अनुपालन में भूमिस्वामी .....पटवारी हल्का नम्बर/सेक्टर नम्बर ..... ग्राम/नगरीय क्षेत्र .....में अवस्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने निम्नानुसार प्रस्तुत की है :

1. सीमांकन के कियान्वयन की तारीख.....
2. सीमांकन शुरू होने का समय .....सीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. हितबद्ध पक्षकारों को दिये गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा तारीख
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका

स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण

(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

स.क्रं.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक .....

7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शें में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

स.क्रं.	नाम	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में/वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

स.क्रं.	आपत्तिकर्ता का नाम	संक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर विनिश्चय

(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण

स.क्रं.	नाम	इन्कार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं–

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की टिप्पणियां .....

.....

.....

.....

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक

संलग्न :

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका
5. नक्शा
6. .....

प्ररूप–तीन
(नियम 6 देखिये)
सीमांकन दल की रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उपखण्ड .....तहसील.....जिला.....
मध्यप्रदेश

तारीख.....सीमांकन रिपोर्ट

आपके आदेश दिनांक .....के अनुपालन में भूमिस्वामी .....पटवारी हल्का नम्बर/सेक्टर नम्बर ..... ग्राम/नगरीय क्षेत्र .....में अवस्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने निम्नानुसार प्रस्तुत की है :

1. सीमांकन के कियान्वयन की तारीख.....
2. सीमांकन शुरू होने का समय .....सीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. सीमांकन के नोटिस का विवरण हितबद्ध पक्षकारों को दिये

स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा तारीख
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका

स.क्रं.	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

3.		

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

स.क्रं.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक .....

7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शें में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

स.क्रं.	नाम	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में/वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

स.क्रं.	आपत्तिकर्ता का नाम	संक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर विनिश्चय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण

स.क्रं.	नाम	इन्कार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं–

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक द्वारा पूर्व सीमांकन से भिन्नता .....
(तारीख).....
.....

12. दल प्रमुख की टिप्पणियां .....
.....
.....

तारीख.....
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
दल प्रमुख तथा दल के अन्य सदस्य

संलग्न :

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका
5. नक्शा
6. .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6 दिनांक20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-13/2018/VII/Se.6

The following draft of rules of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 read with section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and in supersession of this Department's notification number 187-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960, published in the Madhya Pradesh Gazette dated 22ndJanuary, 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh, Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

DRAFT OF RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018.
   (2) They shall come into force from the date publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-**
   (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
      (a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);
      (b) "Form" means forms appended to these rules;
      (c) "Schedule" means schedules appended to these rules;
      (d) "Section" means section of the Code;
      (e) "Team leader" means the person heading the team constituted under rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

3. The application for demarcation and construction of the boundary marks shall be made in Form I.

4. The applicant shall pay such fee for demarcation and construction of boundary marks as may be decided by the Collector from time to time, with the approval of the Commissioner Land Records:

Provided that different fees may be fixed for different districts depending on the charges required to be paid to the agencies authorised to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks in the different districts under sub-rule (1) of rule 7:

Provided further that till such agencies are authorised under sub-rule (1) of rule7, the applicant shall pay such a fee as was fixed immediately prior to the commencement of these rules.

5. The demarcation report submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 129 shall be in Form II.

6. The demarcation report submitted to the Sub-Divisional Officer under sub-section (7) of section 129 shall be in Form III.

7. (1) The Collector, under the control of Commissioner Land Records, may authorize one or more agency for the district to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129.

(2) The Tahsildar may, in accordance with the directions issued by the Collector, from time to time, engage any one of the agencies authorised under sub-rule (1) to assist Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak in carrying out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (3) of Section 129.

(3) The Sub-Divisional Officer may, in accordance with the directions issued by the Collector from time to time, engage any one of the agency authorised under sub-rule (1) to carry out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (6) of section 129.

8. (1) The team deputed by the Sub-Divisional Officer under sub-section (6) of section 129 shall consist of following persons –

(a) a Superintendent of Land Records or Assistant Superintendent of Land Records or Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Team Leader; and

(b) another Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Member.

(2) The Sub-Divisional Officer may, if he thinks fit, add one or more persons having expertise in land demarcation in the team constituted under sub-rule (1).

9. The dimensions and specifications of boundary marks constructed under Section 129 shall be as per Schedule-I:

Provided that till the authorization of the agencies under sub-rule (1) of rule 7, the dimensions and specifications of boundary marks shall be the same as specified immediately prior to the commencement of these rules.

10. The Commissioner, Land Records may, from time to time issue technical instructions for carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129 .

SCHEDULE

[see rule 9]

Specifications of boundary marks to be constructed during demarcation under section 129

S.No	Type of Boundary Mark	Specifications
1.	Property Pin – Type 1 A	(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer (2) Diameter – 2.5 cm (3) Length – 90 cm (4) Top end – (a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface "Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1,Do not disturb or destroy" (5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground. (7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.
2.	Property Pin – Type 1 B	(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer (2) Diameter – 1.5 cm (3) Length – 90 cm (4) Top end – (a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface – " Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1, Do not disturb or destroy" (5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground. (7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.
3.	Property Pillar Type - 2	(1) RCC pillar or monolith stone painted bright yellow in colour. (2) 60 cm x 15 cm x 15 cm

		(3) Fixed to the ground using at least 15cms of PCC cement block with 20 cm above the ground
4.	Property Pin – Type 3	(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer (2) Diameter – 1.5 cm (3) Length – 60 cm (4) Top end – (a) Flattened to a diameter of 4 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface "Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 2, Do not disturb or destroy" (5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground. (7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.
5.	Property Pin cap – Type 1	(1) PCC block or monolith stone block (2) Dimensions – 15 cm x 15 cm x 20 cm (3) Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces of the cap of uniform diameter of 3 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face through which they open. (4) Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin (5) The cap shall be placed on the ground at a point where a Property Pin Type – 1 A is to be established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap. (6) It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.
6.	Property Pin cap – Type 2	(1) PCC block or monolith stone block (2) Dimensions – 15 cm x 15 cm x 20 cm (3) Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces along the length of the cap of uniform diameter of 2 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face.

		(4) Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin (5) The cap shall be placed on the ground at a point where Property Pin Type – 1 B or Property Pin –Type 3 is to be established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap. (6) It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.

Notes:

1. During demarcation, property pin shall be placed as boundary mark at such intervals as provided in the rules.
2. Property Type 1 or Type 2 pin shall be used at the corners of a survey number, block number or plot number being demarcated. They shall be placed at the four corners of the plot or at least at four points of the plot being demarcated.
3. Property Type 1, Type 2 or Type 3 pin shall be used in all other intermediary points of the border of the survey number where boundary marks are required to be established under these rules, block number or plot number being demarcated.
4. The applicant Bhumiswami shall decide the type of pins to be used Bhumiswami wherever more than one type has been prescribed for a particular purpose.
5. Where the fence or walls are being constructed the portion of the property pins above the ground may be increased and the pin made a part of the wall or fence.
6. Property pin caps may be used in the construction of the boundary marks on the application of the Bhumiswami for better visibility of the boundary marks constructed during the demarcation exercise.
7. The Bhumiswamis on the border of whose land the boundary marks have been created shall be responsible for the maintenance and safety of the boundary marks constructed.
8. Where a tahsildar receives knowledge from the Bhumiswami or any person that any person has removed or damaged or changed the location of a boundary mark without proper authorisation The Tahsildar may after an enquiry, as he may deem fit impose a penalty of Rs 500 per boundary mark thus removed or damaged or for which location has been changed. The tahsidar shall also cause the boundary mark to be established again and recover the cost, over and above the penalty imposed, from the person so causing the damage.
9. The Commissioner, Land Records may issue directions the intervals for certain situations.

FORM-I
[see rule 3]

APPLICATION FOR DEMARCATION AND CONSTRUCTION OF BOUNDARY MARKS

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
.....Tahsil.....
District.....M.P.

I/we....., hereby, request for demarcation and construction of the boundary ınarks of lands as per the particulars given below:

1. Particulars of the applicant-

S. No	Name and Address	Name of Father/ Husband/ Guardian	Mobile/ Phone number	Scheduled Tribe/Scheduled Caste/ Other	Aadhar No/ Alternate ID	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						

2. Particulars of land to be demarcated :-
District.....Tahsil.....Revenue Inspector Circle.....
Patwari Halka/Sector No. .....Village/Urban Area.....

S.No.	Survey No./Block No./Plot No.	Area (in Hect./Sq. mtr.)	Name of the holder	Details of adjoining Survey No./Block No./Plot No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

3. Particulars of holders of adjoining lands:-

S. No	Survey No./Block No./Plot No.	Name of holder	Name of Father/ Husband /Guardian	Full address	Mobile/ Phone number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

4. Details of fee deposited:-

(in Rupees)

Amount in figures	Amount in words	Details of receipt
(1)	(2)	(3)

Declaration

I/we.....Son of/Daughter of/Husband of .....address (full address with mobile No.)....., hereby, declares that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

Date.....
Place.....

Signature
Name.....
Applicant(s)

Mandatory enclosure

1. Copy of Khasra
2. Copy of Map of Survey No./Block No./Plot No. to be demarcated including adjoining Survey No./Block No./Plot No.
3. Copy of receipt of fee.

FORM-II
[see rule 5]

DEMARCATION REPORT OF REVENUE INSPECTOR/NAGAR SARVEKSHAK

Revenue Case No.....

In the Court of Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....
Tahsil.....District.....M.P

Demarcation Report dated.....

In compliance to your order dated .....report of the demarcation of Survey No./Block No./Plot No.....situated in village/urban area.....Patwari halka No./Sector No.....belonging to the Bhumiswami .....Patwari is submitted the following report, namely :-

1. Date of carrying out the demarcation.....

2. Start time of demarcation.....End time of demarcation.....

3. Particulars of notice of demarcation given to interested parties-:-

S.No	Name	Date and mode of service of notice
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

4. Particulars of parties whom notice could not be served:-

S.No	Name	Reasons for non-service of notices
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

5. Names of officials and parties present during the demarcation:-

S.No	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

6. Number of boundary marks constructed.....

7. Particulars of possession of any person other than Bhumiswami over the land or part thereof (to be marked in red in the map to be attached with the report):-

S.No	Name	Area (in hect./sq.mtr.)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon:-

S.No	Name of objector	Objection in brief	Decision on objections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama'-:-

S.No	Name	Reasons for refusal
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded:-.....

11. Comments of Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak:-.....
.....
.....
.....

Date.....
Place.....

Signature
Name.....
Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak

Enclosures-
1. Copies of notices served on interested parties
2. Unserved notices in original (if any)
3. Panchanama
4. Field Book
5. Map
6. .....